

राजस्थान सरकार
जल रासाधन विभाग

क्रमांक प 15(12)ज0सं0 / 2016पाट

जयपुर दिनांक 29.3.16

मुख्य अभियंता,
जल रासाधन विभाग,
जयपुर।

विषय— राजस्थान लोक नौकरी कालोग से जल रासाधन विभाग के लिए चयनित सहायता नामों (सिपिल/यात्रिक) तो उनकी पूर्ववर्ती राजकीय हैं ऐसे दिये जाने हेतु नियम गठन।
लाइन— आपका पद क्रमांक 563/सं.राज/उन/२६। तिथि 12.08.2013

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विभाग के कनिष्ठ अभियंताओं वा अधिकारी अभियंता की सीधी भर्ती के लिए संकात्कार हेतु उनापत्ति प्रमाण पत्र देते समय उनके उपरात त्याग पत्र दिये जाने की अवधि करने का कारण था कि नियम-१ सभी कनिष्ठ अभियंता परिवीक्षाकाल में शृंगराम रोड नियम के नियम-२६ के साथ प्रावधान किया हुआ है कि राज्य कर्मचारी वा व्यावसायिक वा संघर्ष वा विभाग से दूसरे संबंधित व्यावसायिक वा संघर्ष यों विभाग में सीधी भर्ती से नियुक्त हो जाता है तो उसका प्रारम्भिक वक्त नियम किया जाएगा। यह तभी समव वक्त है जबकि दूसरे पद पर नियुक्ति के उपरात वर्तमान पद के कार्यभूमि किया जावे। पद से त्याग पत्र दिये जाने पर उसके बाद नियम-२६ के उपरात सकता।

इसी नियम के अध्याद में उल्लेख किया गया है कि यदि वक्ते परिवीक्षाकाल व्यावसायिक रूप में/परिवीक्षा पर तेजरात कोई सरकार कर्मचारी पद की नियांत्रित परिवीक्षा वा सतोषप्रद रूप से पूर्ण किये विना किसी हूँगामे (पर) पद का नियुक्त हो जाता तो तो पूर्व पद पर की रई सेवा को नवीन पद के रूप में विना जाएगा उभाव उन १५ दिन पद की सेवा अवधि का कोई लाभ नहीं। पद पर प्राप्त नहीं होगा।

उक्त नियम में दिये गये प्रावधान सभी लालर्ह यही होगा कि जिन १५ दिन से कनिष्ठ अभियंता पद पर परिवीक्षाकाल पूर्ण नहीं दिया है उक्त उच्च पद पर नियुक्ति की गई है तो उच्च एवं दूसरे कार्यग्रहण वारने हेतु वर्तमान पद से त्याग पत्र दिया जावे। उन अधिकारीयों ने दो बर्षों का परिवीक्षाकाल सफलतापूर्वक किया कर रखा है उनकी नवीनीकरण पद पर कार्यग्रहण के लिए वर्तमान पद से नियुक्त करना है। उस दूसरे में राजस्थान सेवा नियमों के नियम-२६ के अनुसंधान की जावे।

मरवीय

—२०१३—
(एकज जाझा)
शासन उप सचिव

DS 4TA

३८/२९/४/१६

८८(१)
३८/४/१६